'न्यायाधीश, अधिवक्ता और छात्र संविधान के प्रहरी'

- संविधान दिवस पर गोवि में आयोजित व्याख्यान में बोले जस्टिस
- विश्वविद्यालय के विधि विभाग की ओर से हुआ आयोजन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : उच्च न्यायालय इलाहाबाद के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र ने कहा कि संवैधानिक नैतिकता स्वयं में ही संविधान में समाहित है। शासन व्यवस्था की सभी शक्तियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत संविधान ही है। संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक नैतिकता में टकराव होने पर संवैधानिक नैतिकता ही अधिभावी होती है। न्यायाधीश, अधिवक्ता और विधि छात्र संविधान के सजग प्रहरी होते हैं। जस्टिस मिश्र रविवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से संविधान दिवस पर आयोजित आचार्य प्रतापादित्य स्मृति व्याख्यान को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर की ओर से संविधान सभा में दिए गए वक्तव्य का जिक्र करते हुए जस्टिस राम मनोहर ने कहा कि संवैधानिक नैतिकता सर्वोपरि श्रद्धा का विषय है। इस अवसर पर कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि संविधान केवल विधिक दस्तावेज नहीं बल्कि शासन व्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने विधिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही भविष्य में मूट कोर्ट जैसी प्रतियोगिताओं के आयोजन की सलाह दी।

व्याख्यान में विधि विभाग के अधिष्ठाता प्रो. अहमद नसीम ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए विषय प्रवर्तन वरिष्ठ आचार्य प्रो. जितेंद्र मिश्र ने किया। उन्होंने कहा कि संविधान एक दर्पण है, जो हमारी सभ्यता व संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। इस दौरान संविधान दिवस पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण-पत्र देकर कुलपति व मुख्य अतिथि ने पुरस्कृत भी किया। कार्यक्रम में प्रो. अनुभूति दुबे, प्रो. अजय कुमार शुक्ला, प्रो. विमलेश मिश्रा, प्रो. अजय कुमार सिंह, प्रो. शरद मिश्रा, प्रो. रामनरेश चौधरी आदि मौजूद रहे।

संविधान दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत करते जस्टिस राम मनोहर मिश्र व कुलपति प्रो. पूनम टंडन • जागरण

संविधान दिवस पर एलआइसी कर्मियों ने ली शपथ

गोरखपुर : भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय में रविवार को संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर निगम के चेयरपर्सन सिद्धार्थ मोहंती ने वीडियो क्रान्फ्रेंसिंग के जरिये सभी कर्मियों को संविधान की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि 26 नवंबर, 1949 को देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को अपनाया था, इसीलिए इसी दिन की याद में हर साल देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। हम भारत के संविधान निर्माताओं के योगदान का सम्मान करते हैं और उन्हें स्वीकारते हैं। इस दौरान वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, जेएस चौहान तथा विपणन प्रबंधक सजीव गर्ग समेत अधिकारी मौजूद रहे।- विज्ञप्ति

भारतीय संविधान में सभी के हितों का ध्यान : जनपद न्यायाधीश

जासं, गोरखपुर : भारतीय संविधान में सभी के हितों का ध्यान रखा गया है। संविधान में समाज के प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बातें जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने संविधान दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में रविवार को दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित गोष्ठी में कही। यह जानकारी अपर जनपद न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामकृपाल ने दी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश ने संविधान के प्रस्तावना का पाठन करते हुए बताया कि 26 नवम्बर राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 26 नवम्बर 1949 को देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत स्वीकार किया था तथा 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था।भारतीय संविधान में सभी वर्गों के हितों के मद्देनजर विस्तृत प्रावधान है।